



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 570026

समझौते,
श्रीमान् निवार्यन अधिकारी महोदय,
वाराणसी खण्ड निवार्यन क्षेत्र
शपथपत्र


शपथपत्र में नजारा निवार्यन अधिकारी कुमार पुत्र रामायन सिंह निवासी ग्राम जमशीला पांडा
बैना मठ सं. - १० तहसील दुद्दो जिला सोनभद्र बहलपुर निम्न ब्यान करता है:-
१- यह एक मुजीहर बहलपुर ब्यान करता है एक मुजीहर पता उपरोक्त का
निवासी है।

२- यह एक मुजीहर बहलपुर ब्यान करता है एक प्राप्ति - २६ श्री निवार्यन का संचालन
करना नियम १९६१ का नियम ५५ में जो भी तथ्य दिया गया है उसे इस शपथपत्र के
साथ समर्थित मानते हुए पढ़ा जाय।

मैं एक मुजीहर उपरोक्त तसदीक करता हूँ एक कुल मज़मून शपथपत्र पैरा।
ता २ सब सब व सही है कोई बात झूठ व छिपायी नहीं गयी है।
दिनांक - ४-३-१५ ई०

मुजीहर

D.K. Singh



प्र० २६
(निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ का नियम ४क देखिये)



वराठासी ५०८ क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद् (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अनिल कुमार पुत्र/पुत्री/पत्नी ८१८१५८ सिंह आयु ५८ वर्ष

जो २१०-अमृतला, पौ-३१, म०८८-१० (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतीज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं अनिल कुमार (**) राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**) जो लागू न हो उसे काट दें।

2. मेरा नाम अनिल कुमार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या ३५ के क्रम सं २६५ पर प्रविष्ट है।

3. मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर ९१५३९१७४८ है और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) X है।

4. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के बारे और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रास्तिः

क्रम सं	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	अनिल कुमार	AKRP607046	X	X
2.	पति या पत्नी माया सिंह	X	X	X
3.	आश्रित-१ अंकुर कुमार सिंह	X	X	X
4.	आश्रित-२ अंकित कुमार सिंह	X	X	X
5.	आश्रित-३	X	X	X



31 मार्च
R.K.A.A.

5. मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभियुक्ती ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं :-

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित सम्बन्धित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	188/86, पा.ना.-144</br/>160-भिर्फु, वर्तमान-ला। 143, 144
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया हैं।	395 IPC
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	ज्यैष्ठ १५ खूब -५१५१ दश, ला। ७३ संखा-५१/६१, १५-२-२०००
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	पृष्ठम् अप्र० ज्यैष्ठ ५१५१ दश, ला। ७३
(ड)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	20/5/2001
(घ)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं	-/-।

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	-/-।
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	-/-।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	-/-।

मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में

★ Prakash Nath
प्रियदर्श या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और R.N 24(22)2001
VARANASI अधिक के लिए कारावास का दण्डादिष्ट दिया गया है/ नहीं दिया गया है

यदि अभियुक्त उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा करावास का दण्डादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	-/-।
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखों)	-/-।
(ग)	अधिरोपित दण्ड	-/-।
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हाँ तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रास्तिति	-/-।

SI
माला

A.K. 2001/2001

7. मैं भरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

अ- जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणि-1 संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणि-2 जमा/विनिधान की दशा में कम से ०, रकम, जमा की तरीख, स्कीम, वैक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणि-3 सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बन्धपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणि-4 यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणि-5 रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के सम्बन्ध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र सं	विवरण	संघ	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम	
(i)	हाथ में नकदी	३०,०००/-	५०००/-	३२-५	३२-५	३२-५	
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	५३। बीमा १५८०/- ५८२। श्रीमति ७१। ८५००/-	१५८०/-	३२-५	३२-५	३२-५	
(iii)	कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बन्धपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	२२-५	२२-५	३२-५	३२-५	३२-५	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक लै. घर या बीमा कम्पनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिग्रहण और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	१। वीमा पालिङ्ग ८९। लै. ४। पैदालहस्य ५। किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिग्रहण और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	१। वीमा पालिङ्ग ८९। लै. ४। पैदालहस्य ५। किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिग्रहण और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	३२-५	३२-५	३२-५	३२-५
(v)	मोटररायन/बायुयान/फ्लेट/फ्लैट (मेक बोले) रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्य करने का वर्ष और रकम)	०३५८	४०६४०/-	२२-५	२२-५	२२-५	
(vi)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	३४९७-२०११ भूगत-५८३००/- २। बोरिस्मठी भूगत-१००,०००/-	३०। सफडी १००। सफडी ३०। सफडी	३२-५	३२-५	३२-५	
(vii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावों/हित का मूल्य	०८८८। गति-१५०,०००/-१५०००० १। गति-१५०	१५०,०००/-१५००००	३२-५	३२-५	३२-५	
(viii)	समग्र कुल मूल्य	८६२। भगवान १५५०००/-	१५५०००/-	३२-५	३२-५	३२-५	
(ix)				३२-५	३२-५	३२-५	

Sh. aman


A.K. 10/2021

(d) स्थावर आस्तियों के बौरे -

टिप्पणी-1 संयुक्त स्थागित्य की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी-2 प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण सं० (संख्याएँ)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प	शू-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हॉ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	X	X	X	X	X
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण सं० (संख्याएँ)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	X	X	X	X	X
	क्या विरासत आई संपत्ति है? (हॉ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	X	X	X	X	X
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	X	X	X	X	X
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X



Sh. Anil
A.K. 2001

(iii)	दोणिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित)	है	नहीं	नहीं	नहीं	है
	अवस्थिति (अवस्थियों)					
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	×	×	×	×	×
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	×	×	×	×	×
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (है या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्य की तारीख	×	×	×	×	×
	क्य के समय मूमि की लागत (क्य की दशा में)	×	×	×	×	×
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनियोग	है	नहीं	नहीं	नहीं	है
(iv)	अनुभानित चालू बाजार मूल्य	×	×	×	×	×
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों)	नहीं	है	नहीं	नहीं	है
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)
	सर्वेक्षण सं.
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	×	×	×	×	×
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	×	×	×	×	×
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (है या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित सम्पत्ति की दशा में क्य की तारीख	×	×	×	×	×
	क्य के समय मूमि की लागत (क्य की दशा में)	×	×	×	×	×
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से मूमि पर कोई विनियोग	×	×	×	×	×



11 मार्च
A.K.-1111

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	X	X	X	X	X
(v)	अन्य (जिसके संपत्ति में हित)	X	X	X	X	X
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य

8— मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शेष्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्र सं	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी के नाम	आश्रित-1 के नाम	आश्रित-2 के नाम	आश्रित-3 आदि के नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था/संस्थानों को ऋण या शेष्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शेष्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व	म/हि-५। ५१५८-स बफ। ५। ८५८५८३ ५६००००/ वालेरो वाहनपर लोन	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
	दायित्वों का कुल योग	५.६०,०००/-	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
(ii)	सरकारी शेष्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शेष्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शेष्य विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शेष्य टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शेष्य सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शेष्य आयकर शेष्य धन कर शेष्य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य
		शु-य	शु-य	शु-य	शु-य	शु-य



Sh. Mm
R.K.1101

सेवा कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
विक्रय कर शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कोई अन्य शोध्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

9— वृत्ति या उपजिविका के बौरे:-

क. स्वयं प्राइवेट ८५२१/.....
ख. पति या पत्नी गुड०/.....

10— मेरी शैक्षिक अहता नीचे दिए अनुसार है:-

२०८९ कालेज कर्पाता, २१ जीपुर - १९८१ - इंटरमीडिएट
६४१ कालेज कर्पाता, २१ जीपुर - १९७९ हाईकूब

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा का बौरे देते हुये विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का बौरा दें)

भाग-ख

11— भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये बौरों का उद्धरण :


अमर्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी अनिल कुमार
दफ्तर का पूरा पता	ग्रा०- जमशीदा, मा०स०-१० पो०-बीना, ता०-दुष्टी; रो०+भट्ट
3 निवास स्थान की संख्या और नाम तथा राज्य	कोई नहीं.
उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अमर्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	रक
5 (क) ऐसे लम्बित गामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	रक

J. K. M.
R. K. N.

	(xy) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर भद्र (j) उल्लिखित मामलों से मिन्न	नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांश ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उप धारा (1) उपधारा (2) या उप धारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	नहीं

7. का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	कुल दर्शित आय
(क) अम्बर्धी	AKRPJG0704- 67	नहीं	X
(ख) पति या पत्नी	नहीं	नहीं	नहीं
(ग) आश्रित	नहीं	नहीं	नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	862500/- 155000/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ख	स्थावर आस्तियाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(i)	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्य कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	क्य के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास/सनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
 की	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	900000/- लाख लाख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(क)	स्वार्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	300000/- लाख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ख)	विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
दायित्व:						
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	460000/- मालिङ्गा 455/-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10.	ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



11
12
13
14

उच्चतम राजिक अर्हता : इण्टरभीडिएट, इण्टर कालेज कृष्णा नगरपाली

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुये उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरा दें।)

सत्यापन

JAI
P.K. Dubey /

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- क- मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामले से मिन कोई दोषसिद्धि का मामला या लम्बित मामला नहीं है।
 ख- मेरे पति या पत्नी या मेरे आन्तिरों के पास ऊपर भाग-क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

का सत्यापित किया गया।

JAI
P.K. Dubey / अभिसाक्षी

4-3-1014

टिप्पण:

- शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- शपथपत्र पर किसी शपथकमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के सम्बन्ध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- Solemnly Declaratory made before me today
by the deponent/Identified By
.....
The Deponents of this Affidavit Agreement
were read over by the witness who
verified them to be true.

P.N. Dubey
NOTARY Varanasi

4/3/14